न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 107/2024 (उदयपुर डिक्री)

भंवरलाल उर्फ वेणीराम पिता भेरा जी तेली, निवासी प्रकाशपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी, मावली, उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान काश्त. अधि. – 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी मावली दिनांक 16.05.2016, प्रकरण संख्या 31/2014

–––/–––

उपस्थित :– 1– श्री पृथ्वीराज तेली अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

–––::–––

निर्णय दिनांक 05–03–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा प्रकाशपुरा, तहसील मावली में आराजी नंबर 150 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में चारागाह दर्ज है। उक्त आराजी में से 2 बीघा 10 बिस्वा पर वादी का कब्जा 50 वर्ष से निरन्तर चला आ रहा है तथा चारों ओर पत्थर की कोट बना कर फसल बोता आ रहा है तथा भूमि पर लाखों रूपया लगाकर आबादान किया है। वादी के पास आजीविका हेतु अन्य कोई साधन नहीं है। इसी भूमि पर एक ट्यूबवेल वादी ने सिंचाई हेतु खुदा रखा है तथा मवेशियों के पीने का [illegible]ना रखा है तथा उपखण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:37:53 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी मावली द्वारा उक्त ट्यूबवेल की एक बिस्वा भूमि का नियमन वादी के पक्ष में किया गया है। अतः वादी को आराजी नंबर 150 में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 16–05–2016 को वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25–09–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पृथ्वीराज तेली उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की प्रथम बार जानकारी दिनांक 22–08–2024 करे तब हुई जब पटवारी हल्का के पास खाते की नकल लेने गये। जानकारी होते ही अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का खण्डन करने हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपील 8 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं देरी का कोई उचित एवं पर्याप्त कारण अपीलान्ट ने नहीं बताया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 16–05–2016 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 25–09–2024 को प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपील की समयावधि 60 दिवस होकर दिनांक 15–07–2016 तक अपील प्रस्तुत हो जानी थी। इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने में 8 वर्ष से भी अधिक विलम्ब हुआ है एवं इसके लिए जो कारण अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किये हैं वह [illegible] अवधि को कण्डोन करने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:53 IST
Reason: SelfAttested

कोई उचित एवं पर्याप्त कारण प्रकट नहीं होने से अपील प्रथम दृष्टया इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, राजस्व रेकार्ड अनुसार एवं स्वयं अपीलान्ट/वादी के कथनानुसार विवादित आराजी नंबर 150 की किस्म चारागाह है, जो धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों से प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है एवं ऐसी भूमि के खातेदारी अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिये जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय ने भी उपरोक्त आधार पर ही अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत है। तद्नुसार अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–05–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 05–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:53 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**..... व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰** .....

भंवरलाल उर्फ वेणीराम पिता भेरा जी, जाति तेली, निवासी प्रकाशपुरा, तह0 मावली, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **राज्य सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं॰....**107 / 2024**...व नाराजगी डिगरी अदालत.....**उपखण्ड अधिकारी**..... **.....मावली**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....16**.....माह.....**05**.....**.....2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**05**.....माह.....**03**.....सन् **2025** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी....**श्री पृथ्वीराज तेली**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री कमलेश चौहान....**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–05–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)..... रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**05**.....माह.....**03**.....**2025** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:53 IST
Reason: SelfAttested